N-86

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

13 APR 2009

Rs. 500

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 604601

न्यास पत्र

यह कि श्रीमती [illegible] पुत्री पत्नी श्री [illegible] निवासी ग्राम [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 678630

विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया उनमें आवश्यक [illegible] इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुखिया द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुखिया द्वारा अपने उक्त धार्मिक इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के वास्ते 10000/- (दस हजार) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की मैं व्यवस्था करती रहूँगी। हम मुखिया अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के वास्ते एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रही हूँ जिसकी व्यवस्था निम्न प्रकार की जायेगी-

1. यह कि हम मुखिया द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"कृष्ण बिहारी दुबे एजुकेशनल ट्रस्ट"** होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे **"न्यास" अथवा "ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि हम मुखिया द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम-[illegible], पोस्ट-[illegible], जिला-गोरखपुर में स्थित, [illegible] व मुख्यालय **ग्राम-[illegible] (निकट [illegible] चौराहा), पोस्ट-[illegible], तप्पा व परगना-[illegible], तहसील-सदर, जिला- गोरखपुर** होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति के वास्ते इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी, और उसके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मुख्यालय द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुखिया ट्रस्ट मुख्यालय के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगी तथा ट्रस्ट की प्रथम अध्यक्ष भी कही जायेंगी। हम मुखिया द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की स्वतन्त्रता है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678631

करती हूं। भविष्य में इस मुकिरा ट्रस्टडीड के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। इस मुकिरा द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय इस मुकिरा द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है –

1. श्री पवन कुमार दुबे पुत्र श्री कृष्ण बिहारी दुबे निवासी ग्राम–मझवा,पोस्ट–भगवानपुर,तहसील–सहजनवां,जिला–गोरखपुर।
2. श्री राजन दुबे पुत्र श्री कृष्ण बिहारी दुबे निवासी ग्राम–मझवा,पोस्ट–भगवानपुर,तहसील–सहजनवां,जिला–गोरखपुर।
3. श्री रामधीर मिश्र पुत्र स्व0 श्रीकान्त मिश्र निवासी ग्राम व पोस्ट–[illegible],जिला–गोरखपुर।
4. श्री कैलाश चन्द पाठक पुत्र श्री हरि सेवक पाठक निवासी ग्राम–पकड़ी रामपुर,पोस्ट–भटौली,जिला–गोरखपुर।
5. श्री राकेश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री दिनेश मणि त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट–धानीबाजार,जिला–महराजगंज।
6. श्री सुधाकर मणि त्रिपाठी पुत्र श्री राकेश मणि त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट–धानीबाजार,जिला–महराजगंज।
7. श्री पुनीन्दु शुक्ल पुत्र श्री रमेश प्रसाद शुक्ल निवासी ग्राम–नन्दापार, पोस्ट–जैतपुर,जिला–गोरखपुर।

4. यह कि इस मुकिरा द्वारा "कृष्ण बिहारी दुबे एजुकेशनल ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–
   1. समाज के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 678632

2. शिक्षा एवं टेक्नोलोजी ज्ञान को प्रचार-प्रसार करना और इस उद्देश्य से विभिन्न स्कूल का उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख [illegible] देकर विशेष बनाना तथा प्रशिक्षणोपरान्त [illegible] को देश-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. नव-युवक, नव-युवतियों व छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक पाठशाला, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। वर्तमान में सरस्वती देवी महाविद्यालय कस्बा खुर्द (सहजा बाजार) के नाम से एक शैक्षिक संस्था की स्थापना करना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. सरस्वती संगठन हनुमान [illegible] सोसाइटी व इसके अन्तर्गत स्थापित सरस्वती देवी महाविद्यालय, [illegible] व सरस्वती देवी महाविद्यालय [illegible] व सरस्वती देवी महाविद्यालय कस्बा खुर्द (सहजा बाजार) [illegible] में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित कर उसका संचालन करना।
6. लिंग-भेद, जाति-पाँति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिये शिविर/जागरूकता/गोष्ठी/सेमिनार आदि की व्यवस्था करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678633

7. शिक्षा प्रचार-प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा, तकनीकी/गैर तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

8. समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी०जी० कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

9. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी०सी०एस०, आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

10. ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

11. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिये रोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

12. युवकों को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे– सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, स्क्रीनिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी०वी० ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, ब्यूटी आदि, संगीत इसके अतिरिक्त कला संगम कुकिंग/बेकरी एवं लघुउद्योग प्रशिक्षण, ड्राइविंग प्रशिक्षण आदि जैसे – केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा जलपान, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 678634

13. कला प्रोत्साहन जैसे – गीत, पेंटिंग, नृत्य, अभिनय, लेखन तथा अन्य कला संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
14. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे – हिन्दी कम्प्यूटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, शिल्प, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।
15. विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे– गूंगे, बहरे, अन्धे, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।
16. वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
17. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।
18. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, क्रेच, प्रशिक्षण शाला एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
19. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी – बूटी वाले पौधों का उत्पादन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 678635

20. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुये उससे सम्बन्धित समस्त लाभार्थी योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।
21. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
22. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें जैसे– युनीसेफ, आईसीडीएस, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
23. घरेलू, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक–थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं कार्य सम्पन्न कराना।
24. नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिये नशा–मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
25. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे– अन्ध–विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग–भेद, अस्पृश्यता, जाति–पात एवं छुआ–छूत की भावना, सांस्कृतिक माध्यम के द्वारा को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
26. युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
27. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 678636

28. विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।
29. एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेन्टल कालेज होम्योपैथिक,आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों सहित यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
30. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, पार्क, बिल्डिंग एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।
31. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये संशोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें ट्रेनिंग/जागरूक एवं प्रशिक्षित कराना।
32. प्राकृतिक आपदा जैसे- हैजा, प्लेग, सुनामी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, भूस्खलन, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना।
33. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
34. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा आम नागरिक ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये कार्यशिविर केन्द्रों की स्थापना करना।
35. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
36. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभी कार्य करना जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 678699

37. किसी अन्य सरकारी अथवा एन०जी०ओ०, एसोसिएशन, ट्रस्ट के क्रिया – कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हों।
38. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/दानों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।
39. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इसकी शाखा या इसकी क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
40. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

8. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों को सुचारु संचालन के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सहायता के लिये विभिन्न प्रस्तावों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन, सहायता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रथम इकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं की सहायता के लिये शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये समस्त प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

[redacted]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 678700

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के वास्ते गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न स्रोतों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा-80 जी.जी. के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।
12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी व इन्स्टीट्यूशन की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्य करना।

8. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक इस भूमिका होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अपने मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उनके द्वारा वसीयत के माध्यम से अपने मुख्य ट्रस्टी को

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AA 693051

नामित करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा। किन्हीं परिस्थितियों में उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मुख्यः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर दी जायेगी।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उसे सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उसके स्थान

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 693058

पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं शिक्षित व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के पद में संयोजित कर लिया जायेगा।

६. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीट्यूट के प्राचार्य एवं शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि/सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीट्यूट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीट्यूट के प्रबन्ध कमेटि के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

७. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

८. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

१. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को १५ दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

११ — २०१८-२०१९ श्रीमती [illegible]

[illegible]

[illegible] श्रीमती [illegible]

[illegible]

[illegible] कचहरी, गोरखपुर

[illegible]

२५ — आ०वा०-२०१४/०८ श्रीमती [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

दीवानी कचहरी, गोरखपुर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

हीरा लाल [illegible]

[illegible]

१८ — [illegible] श्रीमती [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

८ — २०।७।२४।५।०६ श्रीमती [illegible] — ८

२

हीरा लाल [illegible]
दीवानी कचहरी, जौनपुर
[illegible] केन्द्र

[illegible]

[illegible]

२० — [illegible] श्रीमती [illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AA 693059

6. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के किया – कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विवादास्पद मुद्दा से सम्बन्धित ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. **मुख्य ट्रस्टी /प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य**

1. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. ट्रस्ट की कार्यवाही रजिस्टर व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
5. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
7. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
10. ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
11. ट्रस्ट के हित सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव करना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 693060

8. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था**
ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी व्यावसायिक या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियां निहित होंगी. ट्रस्ट के नाम खोले गये खातों का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. **ट्रस्ट के अभिलेख**
ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा।

10. **ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था**
ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी-

1. यह कि ट्रस्ट अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
2. यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी भाग या समस्त सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट अध्यक्ष ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट अध्यक्ष को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 693061

संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी ।

6. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी ।

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें एवं सेवा पुस्तिका का निर्धारण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

8. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हित के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्त लागू होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 693050

घोषणा

"कुंज बिहारी दुबे एजुकेशनल ट्रस्ट" की तरफ से हम श्रीमती [illegible] दुबे, मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करती हूं कि उपरोक्त न्यास पत्र निष्पादन, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझ कर इस न्यास पत्र को निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

[illegible]

हस्ताक्षर साक्षीगण — हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

1. [illegible]

2. [illegible]
Ram Lal Mishra s/o Late Shrikant Mishra
[illegible] Distt. Gorakhpur

दिनांक — मजमूनकर्ता

[illegible]
7.5.09

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के० अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

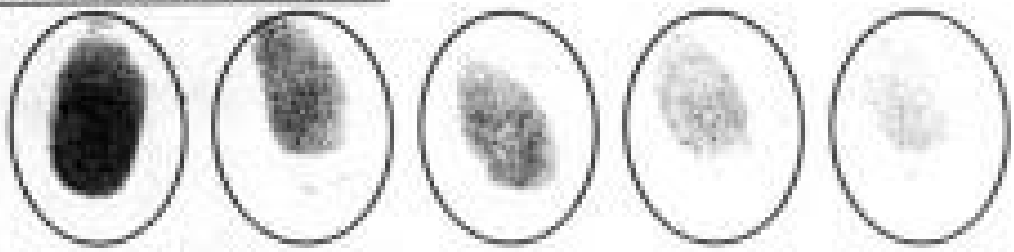

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

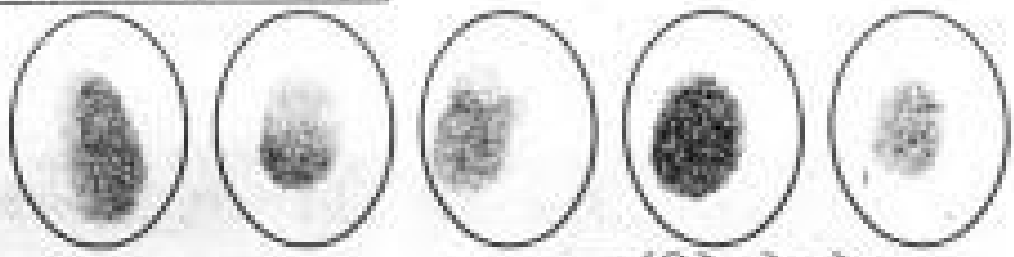

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

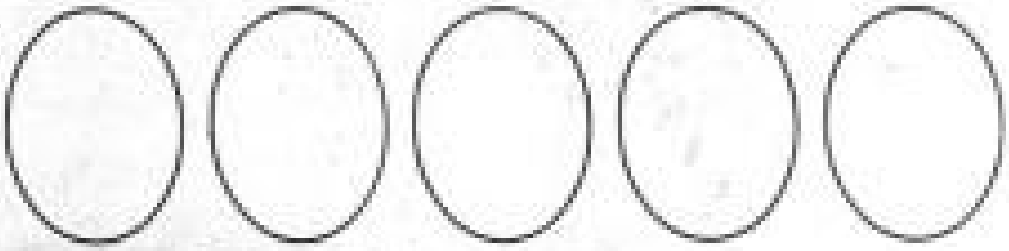

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

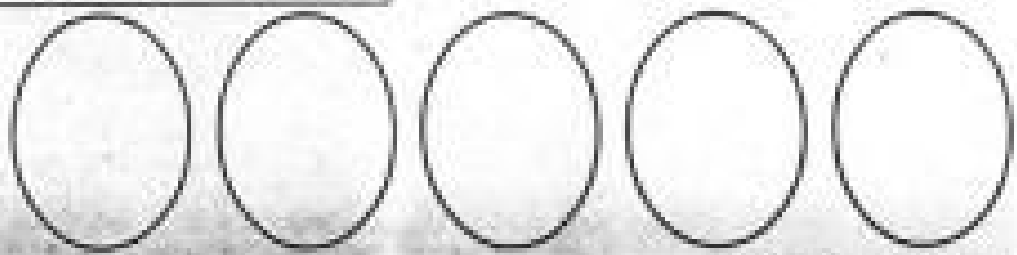

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 682595

Rama Kant Mishra S/o Late Shree Kant Mishra
[illegible] P.O. [illegible] [illegible] Distt. Gorakhpur

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ह० — [illegible]

[illegible]

[illegible]

32 — [illegible] श्रीमती [illegible]

है

[illegible]

[illegible]

32 — [illegible]

[illegible]

३४ — [illegible] श्री [illegible]

हीरा लाल [illegible]

[illegible] गोरखपुर

[illegible]

[illegible] गोरखपुर [illegible] उत्तर प्रदेश

[illegible]

[illegible] ... रजिस्ट्रार
[illegible] गोरखपुर

56/33

विक्रय पत्र

[illegible]

200.00	50	250.00	3,200
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

आज दिनांक [illegible]
श्री [illegible] सूर्यकान्त दुबे
पुत्र श्री [illegible] कुमार दुबे
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]
[illegible]
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/8/2009 समय 3.38PM
पर निबंधन हेतु पेश किया।

सूर्यकान्त दुबे
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
7/8/2009

[illegible]

श्री/श्रीमती [illegible] दुबे
पुत्र/पत्नी श्री [illegible] कुमार दुबे
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री [illegible] मिश्र
पुत्र श्री [illegible] मिश्र
पेशा नौकरी
निवासी [illegible]
व श्री [illegible] कुमार [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा नौकरी
निवासी [illegible] गोरखपुर [illegible]
ने की।

प्रत्यक्षतः [illegible] किया गया है।

[illegible]

सूर्यकान्त दुबे
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
7/8/2009

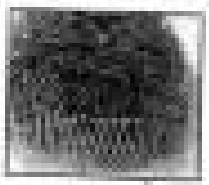

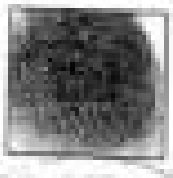

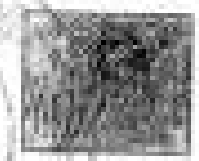

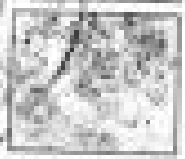

आज दिनांक 07/05/2009 को

बही सं 4 जिल्द सं 129

पृष्ठ सं 275 से 310 पर क्रमांक 86

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

शुभानन्द दुबे

उप निबंधक द्वितीय

गोरखपुर

/2009

[illegible handwritten lines]

साक्षी

Registration No.: 86 Year: 2009 Book No.: 4

0101 [illegible]